कार्यालय : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,
23 एलनगंज, प्रयागराज, पिन कोडः– 211002
दूरभाष सं0/फैक्स नं0:– 0532 2467504, 0532 2466769 Website: http:\\examregulatoryauthorityup.in
ई–मेल आई डी:– secretarypnp.up@gmail .com

विज्ञप्ति

सी0टी0 (नर्सरी)/डी0पी0एस0ई0 (N.T.T.) प्रशिक्षण 2022 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार औपबन्धिक सूची का प्रेषण एवं सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश के सम्बन्ध में

सी0टी0(नर्सरी) एवं डी0पी0एस0ई0 (पूर्व प्रचलित नाम एन0टी0टी0) प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में **सी0टी0 (नर्सरी) एवं डी0पी0एस0ई0 (N.T.T.) प्रशिक्षण 2022** के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन के समय दिये गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के अनुसार समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में औपबन्धिक चयन सूची सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रेषित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में आवेदन करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जॉच/प्रवेश कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि–

1. अभिलेखीय जॉच व साथ ही साथ प्रवेश की कार्यवाही हेतु, सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रेषित सूची में समस्त अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट प्रकाशित कर **दिनांक 20.01.2023 से 10.02.2023 तक** अभ्यर्थियो के मूल अभिलेखों का मिलान करने के उपरान्त मेरिट को इग्नोर न करते हुए आवंटित सीटों के प्रति वर्गवार/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।
2. अभिलेखों की जॉच/प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अपने ऑन लाइन आवेदन में दिये गये शैक्षिक एवं समस्त विवरणों के आधार पर शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी मूल अभिलेख/छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज की नवीन फोटो जिस पर अभ्यर्थिनी का नाम अंकित हो, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र, फोटो सहित ऑन लाइन आवेदन पत्र की प्रति लाना अनिवार्य होगा।
3. अभिलेखों की जॉच कराने का अर्थ प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। प्रवेश मेरिट के आधार पर आवंटित सीटों के सापेक्ष होगा।
4. अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन के समय दिये गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के अनुसार समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में औपबन्धिक चयन सूची कार्यालय की वेबसाइट **https://entdata.co.in** पर अवलोकित की जा सकती है।

17.1.2023
(अनिल भूषण चतुर्वेदी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, प्रयागराज
17.01.2023

पृ0सं0/ सी0टी0/एन0टी0टी0–22/ 5876-81 **/2022–23 दिनांकः** 17 **जनवरी, 2023**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्राचार्य, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय,प्रयागराज।
4. प्राचार्य,राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, आगरा।
5. समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य निजी डी0पी0एस0ई0 (एन0टी0टी0), संस्थान, उ0प्र0।

17.1.2023
(अनिल भूषण चतुर्वेदी)
सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, प्रयागराज।
17.01.2023

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1. प्राचार्य
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय,
प्रयागराज। ।

2. प्राचार्य
राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय,
आगरा।

पत्रांक : गोप0/सी0टी0-2022 /5886-89 /2022–23 दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषय : सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण 2022 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत समस्त आवेदकों के वर्गवार/श्रेणीवार औपबन्धिक सूची प्रेषण एवं अभिलेखों की जॉच तथा प्रवेश सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) हेतु निर्गत शासनादेश सं0 1577/15–11–14 दिनांक 22.10.2014 के बिन्दु 8 (V) के अनुपालन में **सी0टी0 (नर्सरी) प्रशिक्षण सत्र 2022 हेतु** ऑन लाइन आवेदन करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में सूची शासनादेश के बिन्दु 7 के अनुसार गठित चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त आपको ई–मेल/पंजीकृत डाक से अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जॉच एवं आवंटित सीटों के प्रति चयन/प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:–

1. अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया गया है। अतः अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के अनुसार आवेदन करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में औपबन्धिक चयन सूची आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. अभिलेखीय जॉच व साथ ही साथ चयन की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रेषित सूची में समस्त अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट प्रकाशित कर **दिनांक 20.01.2023 से 10.02.2023 तक** अभ्यर्थियो के मूल अभिलेखों का मिलान करने के उपरान्त मेरिट को इग्नोर न करते हुए आवंटित सीटों के प्रति वर्गवार/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।
3. प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मूल अभिलेखों, अंकपत्र/प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदि के मिलान करने तथा पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया जायेगा।
4. प्रशिक्षण महाविद्यालय हेतु निर्धारित सीटों पर **दिनांक 20.01.2023 से 10.02.2023 तक** चयन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्गवार/श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ई–मेल/वाहक/पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

5. अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन में भरा गया विवरण ही चयन का आधार है। आवेदन पत्र में भरे गये विवरण से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियाँ जांच के समय अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होंगी। ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मूल अभिलेखों की जांच के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों से इतर सूचनाओं वाले प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सूचनायें अंकित की जायेंगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचना से भिन्न सूचना को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह घोषणा (Undertaking)की जायेगी कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। आवेदन करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण पत्र/आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंकपत्र/प्रमाण पत्र से भिन्न कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

8. प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित संस्थान में रू0 10 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथपत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के ....जनपद का निवासी है, उसके पास आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू0आई0डी0 में से उसी एक को प्रस्तुत करना होगा। फोटो आईडी प्रूफ से उसके आवेदन पत्र में चस्पा फोटो का मिलान किया जायेगा।

9. सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन एक माह के अन्दर अभिलेखों का निर्गमन करने वाले संस्थाओं से कराया जायेगा। चयन/जॉच/प्रवेश/प्रशिक्षण किसी भी स्तर पर अभिलेखों से विसंगति पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

10. अभिलेखीय जाँच/प्रवेश के समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाय –

(A) सी0टी0 (नर्सरी) चयन हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन करने की पात्र होंगी, जो उत्तर प्रदेश की निवासी हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

(B) **आयु सीमा** – अभ्यर्थी की आयु जिस शैक्षिक सत्र हेतु आवेदन किया जायेगा अर्थात् **01 जुलाई 2022** को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) की आयु सीमा में शिथिलता शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार की जायेगी।

(C) **आरक्षण** – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण राज्य सरकार के लागू आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। विशेष आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 यथा संशोधित 1997 एवं 1999 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षण देय होगा।

सी0टी0 नर्सरी प्रशिक्षण 2022 मे ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जॉच एवं प्रवेश की कार्यवाही दोनो प्रशिक्षण संस्थानों में **दिनांक 20.01.2023 से 10.02.2023 तक सम्पादित** करायी जानी है। प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण विलम्बित होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अतः उक्त के अनुसार चयन की कार्यवाही समयबद्धरूप से पारदर्शिता तथा शुचितापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

17.1.2023

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ0प्र0 प्रयागराज

17.01.2023

संलग्नकः उक्तवत्।

पृ0सं0/ गोप0/ सी0टी0-2022 / 5886–89 **/2022–23 तद्दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित –

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

17.1.2023

सचिव,

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,

उ0प्र0 प्रयागराज।

17.01.2023

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
समस्त निजी
डी0पी0एस0ई0 (एन0टी0टी0) प्रशिक्षण संस्थान
उ0प्र0।

पत्रांक : गोप0/एन0टी0टी0 2022/5890-92/2022–23 दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषय : डी0पी0एस0ई0 (एन0टी0टी0) प्रशिक्षण 2022 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत समस्त आवेदकों के वर्गवार/श्रेणीवार औपबन्धिक सूची प्रेषण एवं अभिलेखों की जॉच तथा प्रवेश सम्बन्धित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एन0टी0टी0 प्रशिक्षण (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए) हेतु निर्गत शासनादेश सं0 3106/15–11–2013 दिनांक 08 जनवरी 2014 के बिन्दु 5 (ii) के अनुपालन में **डी0पी0एस0ई0 (एन0टी0टी0) प्रशिक्षण 2022** में ऑन लाइन आवेदन करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में सूची शासनादेश के बिन्दु 4 के अनुसार गठित चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त आपको ई–मेल/पंजीकृत डाक से अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जॉच एवं आवंटित सीटों के प्रति चयन/प्रवेश हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:–

1. अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन आवेदन में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया गया है। अतः अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के अनुसार आवेदन करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार शैक्षिक गुणांक के अवरोही क्रम में औपबन्धिक चयन सूची आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. अभिलेखीय जॉच व साथ ही साथ चयन की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रेषित सूची में समस्त अभ्यर्थियों की वर्गवार/श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट प्रकाशित कर **दिनांक 20.01.2023 से 10.02.2023 तक** अभ्यर्थियो के मूल अभिलेखों का मिलान करने के उपरान्त मेरिट को इग्नोर न करते हुए आवंटित सीटों के प्रति वर्गवार/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।
3. प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मूल अभिलेखों, अंकपत्र/प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदि के मिलान करने तथा पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही अभ्यर्थी को उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रवेश दिया जायेगा।
4. प्रशिक्षण महाविद्यालय हेतु निर्धारित सीटों पर **दिनांक 20.01.2023 से 10.02.2023 तक** चयन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्गवार/श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ई–मेल/वाहक/पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
5. निजी प्रशिक्षण संस्थान में कुल आवंटित सभी सीट फ्री सीट होगी। संस्थान हेतु कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थियों को शुल्क शासनादेश सं0 1441/15–11–2014 दिनांक 10.09.2014 के अनुसार रू0 41000 (इकतालिस हजार) प्रतिवर्ष प्रतिछात्र देय होगा। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाइन आवेदन में भरा गया विवरण ही चयन का आधार है। आवेदन पत्र में भरे गये विवरण से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित स्पष्ट पठनीय छायाप्रतियाँ जांच के समय अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होंगी। ऑन लाइन आवेदन की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंकपत्र तथा आरक्षण/विशेष आरक्षण

Scanned with OKEN Scanner

सम्बन्धी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मूल अभिलेखों की जांच के समय आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों से इतर सूचनाओं वाले प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सूचनायें अंकित की जायेंगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचना से भिन्न सूचना को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह घोषणा (Undertaking)की जायेगी कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। आवेदन करने की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र/प्रमाण पत्र/आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न अंकपत्र/प्रमाण पत्र से भिन्न कोई भी अंकपत्र/प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

9. प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित संस्थान में रू0 10 के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित इस आशय का शपथपत्र अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में उत्तर प्रदेश के ....जनपद का निवासी है, उसके पास आवेदन पत्र और जांच प्रपत्र में भरा गया विवरण सत्य है, चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। जांच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू0आई0डी0 में से उसी एक को प्रस्तुत करना होगा। फोटो आईडी प्रूफ से उसके आवेदन पत्र में चस्पा फोटो का मिलान किया जायेगा।

10. सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन एक माह के अन्दर अभिलेखों का निर्गमन करने वाले संस्थाओं से कराया जायेगा। चयन/जॉच/प्रवेश/प्रशिक्षण किसी भी स्तर पर अभिलेखों से विसंगति पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।

11. अभिलेखीय जाँच/प्रवेश के समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाय –

(A) दो वर्षीय एन0टी0टी0 (नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग) प्रशिक्षण में चयन हेतु उत्तर प्रदेश के ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

(B) **आयु सीमा** – एन0टी0टी0 प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस शैक्षिक सत्र हेतु आवेदन किया जायेगा अर्थात् **01 जुलाई 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए**। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। विकलांग अभ्यर्थियों को

Scanned with OKEN Scanner

अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) की आयु में छूट नियमानुसार **"यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है"** देय होगी ।

(C) **आरक्षण** – अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार द्वारा विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देय होगा। विशिष्ट आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उ0प्र0 लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित 1997 एवं 1999 (यथासंशोधित) द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आरक्षण देय होगा।

डी0पी0एस0ई0(एन0टी0टी0) प्रशिक्षण 2022 मे ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अभिलेखीय जॉच एवं प्रवेश की कार्यवाही दोनो प्रशिक्षण संस्थानों में **दिनांक 20.01.2023 से 10.02.2023 तक** सम्पादित करायी जानी है। प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण विलम्बित होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अतः उक्त के अनुसार चयन की कार्यवाही समयबद्धरूप से पारदर्शिता तथा शुचितापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उक्तवत्।

भवदीय

17.1.2023

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ0प्र0 प्रयागराज

17.01.2023

पृ0सं0/ गोप0/एन0टी0टी0 2022/5890-92 **/2022-23 तद्दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित –

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ

17.1.2023

सचिव,

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,

उ0प्र0 प्रयागराज।

17.01.2023

Scanned with OKEN Scanner